संख्या–64 / III–2/06–86(प्रा.आ) /2005

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून,दिनांक 16 जनवरी, 2006

विषयः– राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून में जन्तनवाला एवं धौलास के मध्य नून नदी पर 150 मीटर स्पान के मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण एवं विपासना मेंडिटेसन सेन्टर तक पहुँच मार्ग के निर्माण की प्रशासकीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,पौडी के पत्र सं.– मैमो–3 (दे.दून (ग.क्षे.) दिनांक 12.12.2005 के द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त कार्य के पुनरीक्षित आगणन के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0 2941/(1)लो.नि. अनु.1/2004– 26(प्रा.आ.)/2004 दिनांक 22 फरवरी,2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा जनपद देहरादून में जन्तनवाला एवं धौलास के मध्य नून नदी पर 150 मी0 स्पान के मोटर सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण एवं विपासना मेडिटेसन सेंटर तक पहुंच मार्ग हेतु रू0 240.60 लाख तथा उसके लिए रू0 2.00लाख (रू0 दो लाख) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी, की स्वीकृति को निरस्त करते हुए बढ़ी दरों एवं अतिरिक्त कार्य के आधार पर उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये गये रूपये 497.00 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रूपये 497.00 लाख (रूपये चार करोड़ सतानवे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 2.00 लाख (रूपये दो लाख मात्र) की धनराशि के व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यदि उक्त कार्य के मूल आगणन पर पूर्व स्वीकृत रू0 20.00 की धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और कार्य समान है तो उक्त एवं इस स्वीकृत की जा रही धनराशि को इस योजना के विपरीत स्वीकृत मानते हुए कुल रू0 4.00 लाख को समायोजित कर भविष्य में अवशेष रू0 493.00 लाख की धनराशि ही निर्गत की जायेगी।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।
4. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7. आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद मे किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

8. उक्त योजना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके उसका कब्जा प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

10. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा ।

12. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला और अन्य सडके–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–03–राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा ।

13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–यू.ओ. 213/**XXVII**(2)/2005 दिनांक 16, जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–69 (1)/III–2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिगं माजरा देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल मंडल, पौडी।
3– जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी ।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून।
7– अधीक्षण अभियन्ता, 24 वां वृत्त लो0नि0वि0, देहरादून ।
8– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,देहरादून।
9– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
11– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।